प्रेस विज्ञप्ति

जिला पंचायत परिसर में कैंटिन संचालन हेतु प्रस्ताव आमंत्रण

जिला पंचायत परिसर में कैंटिन संचालन हेतु भवन निर्माण कराया गया है। जिले के महिला स्व–सहायता समूहों से कैंटिन संचालन हेतु सात दिवस के भीतर प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। उपर्युक्त कैंटिन संचालन हेतु आवेदन दिनांक 25/01/2014 शाम 5.00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर में लिये जायेंगे।

विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में NRLM शाखा, कक्ष क्रमांक 10 जिला पंचायत नारायणपुर में उपस्थित होकर अथवा बेबसाईट http://cg.gov.in एवं http://narayanpur.gov.in से आमंत्रण पत्र तथा नियम शर्तों का प्रारूप डाउनलोड किया जा सकता है।

Khoel
20-01-2014

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर (छ.ग.)

Teli No.- 07781-252288, FAX No.-07781-252287, Email – zp-narayanpur.cg@nic.in

कमांक /2763 / जि0पं0 / NRLM / विविध / 2014 नारायणपुर, दिनांक 20 / 01 / 2014

प्रति,

_____

_____

विषयः– जिला पंचायत परिसर में स्थित नये कैंटिन संचालन हेतु महिला स्व–सहायता समूहों से प्रस्ताव के संबंध में।

––00––

जिला पंचायत परिसर में कैंटिन संचालन हेतु भवन निर्माण कराया गया है। जिले के महिला स्व–सहायता समूहों से कैंटिन संचालन हेतु निम्न शर्तों के अधीन सात दिवस के भीतर प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है :–

1. महिला स्व–सहायता समूह का जिले के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
2. महिला स्व–सहायता समूह को जिला पंचायत कार्यालय के साथ निहित शर्तों के अधीन अनुबंध किया जाना अनिवार्य होगा। अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक रहेगा तथा जिसे आगामी वित्तीय वर्ष हेतु दोनों पक्षों की सहमति तथा विचारोपरांत बढ़ाया जा सकेगा। अनुबंध पत्र हेतु 50 रूपये के स्टैम्प पेपर मय नोटरी ही मान्य किया जावेगा।
3. सामान्य तौर पर विभाग द्वारा अनुबंध को 01 माह पूर्व सूचना दिया जाकर बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा व महिला स्व–सहायता समूह द्वारा भी 01 माह पूर्व सूचना पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
4. महिला स्व–सहायता समूह द्वारा जिला पंचायत से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त भत्ते अथवा सुविधा की मांग नहीं की जावेगी।
5. कैंटिन संचालन हेतु प्रथम बार लगने वाले आवश्यक फर्नीचर तथा बर्तन आयटम की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जावेगी, तत्पश्चात् प्रदाय की गई फर्नीचर की मरम्मत अथवा आवश्यकतानुसार नये फर्नीचर की व्यवस्था कैंटिन संचालन हेतु अधिकृत महिला स्व–सहायता समूह को करना आवश्यक होगा। प्रदाय की गई फर्नीचर तथा बर्तन आईटम का अनुबंध समाप्ति के समय सत्यापन अनिवार्यता किया जावेगा कम पाये जाने पर क्षति पूर्ति के रूप में सुरक्षा निधि से समान राशि कटौति की जावेगी।
6. महिला स्व–सहायता समूह द्वारा कैंटिन में स्वल्पाहार/ भोजन व्यवस्था का निर्धारण तथा दर निर्धारण किया जा सकेगा। तथापि बाजार में प्रचलित दर से अधिक दर पर सामग्री प्रदाय नहीं किया जावेगा।
7. कैंटिन में विद्युत बिल, पानी बिल,अन्य आवश्यक बिलों, तथा अन्य शासकीय कर, उपकर या देयको का भुगतांन प्रति माह महिला स्व सहायता समूह द्वारा ही किया जावेगा।
8. सुरक्षा निधि के रूप में अनुबंध माह से अनुबंध अवधि तक महिला स्व–सहायता समूह को प्रति माह के 5 तारिख तक राशि 1500/– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से नगद/डी. डी/चेक द्वारा जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. भोजन व्यवस्था/ वित्तीय व्यवस्था/ समूहों के व्यवहार में कमी पाये जाने पर विशेष प्रकरण मानते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा कभी भी अनुबंध को समाप्त किया जा सकेगा साथ ही किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

महिला स्व–सहायता समूह के चयन का आधार :–

- समूह जीवित एवं कार्यशील हो।
- कैंटिन के कार्यानुभव रखने वाले समूह को प्राथमिकता दी जावेगी।

Kgoel
20-01-2014

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर